

## शराब का परमिट स्थानांतरणीय नहीं है

मालिकाना हक या स्टॉक के स्थानांतरण से जुड़े किसी भी तरह के परिवर्तन की जानकारी पहले ही विभाग को दी जानी चाहिए। कारोबार के बेचने या स्थानांतरित करने पर आपका शराब परमिट रद्द कर दिया जाएगा। नए कारोबारियों को किसी भी तरह की शराब बेचने से पहले अपने परमिट के लिए आवेदन करना होगा और उसे प्राप्त करना होगा।

## अन्य परमिट

किराना स्टोर के बियर परमिट ("बैकर") धारक, रेस्तरां परमिट का भी बैकर हो सकता है बशर्ते कि रेस्तरां और किराना स्टोर एक-दूसरे के बगल में न हों या फिर एक ही स्थान साझा न करें। एक बैकर कई सारे किराना स्टोर के बियर परमिट रख सकता है।

## शिपिंग और डिलीवरी

उनके स्टोर पर बेचे गए आइटम को आप सीधे कनेक्टिकट में ग्राहकों को डिलीवर कर सकते हैं। आपके स्टोर के ठीक बगल में किसी स्थान पर या पार्किंग लॉट में कर्बसाइड पिक-अप की अनुमति भी दी जाती है।

## आपका eLICENSE खाता

विभाग द्वारा दिए गए यूजरनेम से अपना eLicense खाता बनाएं। आप अपने eLicense खाते का इस्तेमाल परमिट के नवीकरण के लिए, उसे रद्द करने के लिए, अपनी संपर्क संबंधी जानकारी को अपडेट करने के लिए, फॉर्म जमा करने के लिए और साथ ही अपने परमिट में कोई बदलाव करने के लिए कर सकते हैं।

[www.elicense.ct.gov](http://www.elicense.ct.gov)

## अपडेटेड जानकारी रखें

विभाग के साथ संपर्क संबंधी जानकारी को अपडेटेड रखने के लिए आप जिम्मेदार हैं। इसमें ईमेल पता और टेलीफोन नंबर जैसी जानकारी शामिल है। विभाग आपको सूचना देगा, आपके परमिट भेजेगा, और ईमेल के जरिए आपको नवीकरण कराने के लिए याद दिलाएगा।

अगर किराना स्टोर के बियर परमिट से जुड़े कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमें यहां कॉल करें:

एजेंट जांच/शिकायतें	(860) 713-6210
नए आवेदन और नवीकरण	(860) 713-6200
स्टॉक या ब्याज का स्थानांतरण	(860) 713-6210
केग पंजीकरण की किताब	(860) 713-6000

*यह पैम्फलेट केवल एक छोटी सी संदर्भ मार्गदर्शिका है।*

अपने किराना स्टोर के बियर परमिट की पूरी जानकारी के लिए, *Connecticut General Statutes* (कनेक्टिकट सामान्य कानून) और *Connecticut State Regulations* (कनेक्टिकट राज्य विनियम) के टाइटिल 30 को देखें।



## कनेक्टिकट राज्य

DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION (उपभोक्ता

संरक्षण विभाग)

LIQUOR CONTROL DIVISION (शराब नियंत्रण विभाग)

450 Columbus Blvd, Suite 901

Hartford, CT. 06103

वेबसाइट: <http://www.ct.gov/dcp/liquorcontrol>

## किराना स्टोर का बीयर परमिट



## छोटी संदर्भ मार्गदर्शिका

हमारा उद्देश्य:  
अपने परमिट धारकों को सूचित करना और शराब की सुरक्षित बिक्री को बढ़ावा देना।

**Ned Lamont**

राज्यपाल

**Michelle H. Seagull**

कमिश्नर

**M. Caitlin S. Anderson**

निदेशक

वेबसाइट: <http://www.ct.gov/dcp/liquorcontrol>

ईमेल: [dcp.liquorcontrol@ct.gov](mailto:dcp.liquorcontrol@ct.gov)

फ़ैक्स: (860) 706-1208

## किराना बीयर परमिट के लिए बीयर की बिक्री का वैध समय: \*\*

सोमवार से शनिवार  
सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक  
रविवार  
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक

### इन दिनों बिक्री की अनुमति नहीं है:

थैंक्सगिविंग  
क्रिसमस  
पहली जनवरी

(अगर क्रिसमस या नया साल रविवार के दिन पड़ता है तो उसके अगले दिन सोमवार को बीयर बेची जा सकती है।)

*\*\*स्थानीय शहर और नगर के नियम अधिक प्रतिबंधात्मक हो सकते हैं\*\**

**परमिट परिभाषा** Connecticut General Statutes §30- 20(b)-(c) देखें

### परमिट से जुड़ी शर्तें

**वार्षिक नवीकरण** आपका परमिट हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए ईमेल पते पर एक रिमाइंडर ईमेल भेजा जाएगा। आपके परमिट पर समाप्ति तिथि भी छपी होती है।

**परमिट रिकॉर्ड करना** आपका नया परमिट हर साल टाउन क्लर्क के कार्यालय में दाखिल किया जाना चाहिए। क्लर्क मूल परमिट पर मुहर लगाएगा और एक कॉपी फाइल में रखेगा। परमिट तब तक वैध नहीं माना जाता जब तक उस पर मुहर नहीं लग जाती।

**परमिट को फ्रेम करना और** आपके शराब का परमिट सुरक्षित रूप से एक फ्रेम में रखा जाना चाहिए और स्टोर के अंदर ऐसी जगह पर टंगा होना चाहिए जहाँ से जनता उसे देख सके।

**सामने लटकाना** जहाँ से जनता उस देख सके।

**परमिट धारक के हस्ताक्षर** परमिट धारक का नाम उस चिन्ह पर लिखा होना चाहिए जो परिसर के मुख्य दरवाजे के बगल में टंगा हो और फुटपाथ या सड़क से दिखाई देता हो।

**उदाहरण के लिए: Michael Brooks**  
**परमिट धारक**

**वितरण** किसी भी परमिट धारक को तब तक शराब नहीं मिलेगी जब तक कि माल मिलने पर दुकान का मालिक दुकान के नाम, परमिट धारक के नाम और कर्मचारी के हस्ताक्षर या उसके नाम की जानकारी वाले बिल पर हस्ताक्षर नहीं करता है। एक रबर स्टाम्प लगाने की अनुमति है।

## रबर स्टाम्प के उदाहरण:

**द्वारा प्राप्त**  
Main Street Liquors  
Michael Brooks, परमिट धारक  
तिथि: \_\_\_\_\_  
द्वारा: \_\_\_\_\_

**शराब के बिल** दुकान पर शराब के बिल का 2 साल का रिकॉर्ड रखना होगा। बिल को कहीं और रखने के अनुरोध पर लिखित अनुमति दी जा सकती है।

**मादक पेय की कीमतें** सभी मादक पेय पदार्थों की कीमतें आइटम के ऊपर या उसके पास लिखी होनी चाहिए। सभी की एक सूची सभी मादक पेय पदार्थों की कीमतें आइटम के ऊपर या उसके पास लिखी होनी चाहिए।

**बीयर का भंडारण** ताला लगाने लायक एक स्वीकृत जगह होनी चाहिए। यहाँ बीयर के पूरे स्टॉक को रखने लायक पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ताला लगाने लायक कूलर रखे जा सकते हैं।

**डिस्काउंट वाले आइटम** किराना स्टोर के बीयर का परमिट धारक, हर महीने एक बीयर आइटम को उसके मूल्य से कम दाम पर बेच सकता है, बशर्ते उस आइटम पर 10% से ज्यादा की छूट न दी गई हो। किसी उत्पाद को पंजीकृत करने के लिए, इस वेबसाइट पर एक खाता बनाएँ: [https://www.biznet.ct.gov/DCP\\_LiquorControl\\_Retailers](https://www.biznet.ct.gov/DCP_LiquorControl_Retailers)

**आयु विवरण फ़ॉर्म** एक कर्मचारी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसकी उम्र उसके आयु विवरण फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त हो। इस फ़ॉर्म का इस्तेमाल केवल दिखाए गए पहचान पत्र के साथ होता है। भरे हुए आयु विवरण फ़ॉर्म को स्टोर पर रखना चाहिए।

**निषिद्ध बिक्री** नाबालिगों को बिक्री। (21 वर्ष से कम की आयु) नशे में धुत व्यक्ति को बिक्री। निर्धारित वैध समय के पहले या बाद में बिक्री। दूसरे शराब परमिट धारक को बिक्री।

**\*\*ध्यान दें: यदि आपको शक है कि खरीदार नाबालिग है या नशे में है तो आप बिक्री से इनकार कर सकते हैं।\*\***

**कर्मचारी** किराना दुकान में काम करने के लिए कर्मचारियों की उम्र पंद्रह (15) साल हो सकती है, लेकिन बीयर बेचने के लिए उनकी उम्र कम से कम अट्ठारह (18) साल होनी चाहिए।

### केग पंजीकरण

आपके कर्मचारी को केग की बिक्री के समय निम्नलिखित काम करने होंगे (1) केग बुक से एक पहचान टैग निकालकर सभी केगों पर लगाना होगा, (2) केग खरीदने पर मिलने वाली रसीद पर हर खरीदार से हस्ताक्षर करवाना होगा और (3) खरीदार को सूचित करना होगा कि अगर उन्होंने केग को उसके मूल पहचान टैग के साथ छेड़खानी कर के लौटाया है तो भुगतान की गई कोई भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। केग संबंधी पुस्तिका विभाग में उपलब्ध है। परमिट धारक को ऐसी सभी रसीदों की एक कॉपी को छह महीने की अवधि के लिए परमिट परिसर में रखना होगा और विभाग या कानून प्रवर्तन द्वारा होने वाले निरीक्षण और हवाले के लिए उपलब्ध रहना होगा। जमा राशि की जानकारी हर एक खरीदार को मौखिक रूप से दी जा सकती है या फिर बिक्री के समय साफ तौर पर लिखे साइन बोर्ड (कम से कम छह से नौ इंच बड़ा) के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है।

### साइन बोर्ड पर निम्नलिखित बात लिखी होनी चाहिए:

अगर खरीदार ने केग को उसके मूल पहचान टैग के साथ कोई छेड़खानी कर के लौटाया है, तो जरूरत पड़ने पर केग के लिए भुगतान की गई कोई भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी यदि लौटाए गए केग पर जरूरी पहचान टैग की नहीं है या फिर पहचान टैग को इस हद तक खराब कर दिया गया है कि उस पर लिखी जानकारी पढ़ी नहीं जा सकती, तो आपको जमा राशि वापस नहीं करनी चाहिए।

### बीयर केवल अधिकृत डीलर से ही खरीदी जा सकती है।

आप केवल अधिकृत थोक विक्रेता या Liquor Control Division से लाइसेंस प्राप्त खुद वितरण करने वाले उत्पादक से ही शराब खरीद सकते हैं।

### एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही बीयर खरीदी जानी चाहिए।

सभी थोक विक्रेताओं का एक अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें उन्हें बीयर के कुछ ब्रांड बेचने की अनुमति होती है। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही वितरक से खरीदारी कर रहे हैं।

### किराने के सामान की बिक्री

अपना शराब परमिट रखने के लिए आपको मुख्य रूप से किराने के सामान की बिक्री करनी चाहिए। अपने स्टोर में सभी सामान भरपूर मात्रा में रखें और खराब हो चुके सामानों को बाहर निकालें।